

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठसीन अधिकारी - पीयूष समारिया

आई0ए0एस0



प्रार्थना पत्र सं0 44/2010

1. भीखाराम पुत्र रामचन्द्र बलाई निवासी हडिया तहसील महवा जिला दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी(सक्षम अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी महवा तहसील महवा जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन इकाई इन्द्रा कॉलोनी, रोडवेज डिपो के सामने दौसा जिला दौसा।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम पाडली तहसील महवा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाने मुआवजा अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से
3. श्री योगेश जाकड अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 02.12.2020

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि वाके ग्राम हडिया तहसील महवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 है0 के राजस्व रिकार्ड में खातेदार भीखाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा व लाला पुत्र गिराज जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा दर्ज है। प्रार्थी व लाला के पिता गिराज पुत्र भम्बोला जाति बलाई निवासी हडिया में आपसी बाहमी बटवारा हो गया जिसकी लिखावट स्टाम्प पर लिखी गई थी। उक्त बाहमी बटवारे में खसरा नम्बर 481 का साबिका खसरा नम्बर 204 का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी के हक हिस्से व बँट में आया था। उक्त भूमि खसरा नम्बर 481 में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तार हेतु 1920 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 3 के नाम मुआवजा देने का आदेश दिनांक 12.7.2010 को दे दिया और उक्त आदेश की पालना में अवाई क्रमांक 2972 दिनांक 4.8.2010 के जरिये 6296940/- अप्रार्थी सं0 3 को देने का आदेश दे दिया। उक्त अवाई राशि 6296940/- अप्रार्थी सं0 3 के बजाय प्रार्थी को दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम हडिया तहसील महवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 है0 के राजस्व रिकार्ड में खातेदार भीखाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई निवासी

h

हडिया तहसील महवा व लाला पुत्र गिराज जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा दर्ज है। प्रार्थी व लाला के पिता गिराज पुत्र भम्बोला जाति बलाई निवासी हडिया में आपसी बाहमी बटवारा हो गया जिसकी लिखावट स्टाम्प पर लिखी गई थी। उक्त बाहमी बटवारे में खसरा नम्बर 481 का साबिका खसरा नम्बर 204 का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी के हक हिस्से व बँट में आया था। प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 है० में से किसी को कोई बेचान नहीं किया उक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक व काबिज प्रार्थी है। उक्त 0.80 है० भूमि में से 0.06 है० भूमि प्रार्थी ने आबादी में कनवर्ट करा ली शेष 0.74 है० भूमि खातेदारी व कब्जे की भूमि है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 481 में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तार हेतु 1920 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। जिसका सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि के संबंध में जब अप्रार्थी सं० 1 ने मुआवजा हेतु आपत्तियाँ मांगी तो प्रार्थी ने दिनांक 12.11.2009 को व अन्य कई तारीखों को आपत्ति भी प्रस्तुत की। अप्रार्थी सं० 1 ने प्रार्थी की 12.11.2009 को प्रस्तुत आपत्ति को दिनांक 16.11.2009 को एनएच के नाम मार्क किया व प्रार्थी ने उक्त मुआवजा दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने उक्त भूमि का कभी भी किसी को विक्रय नहीं किया और न ही प्रार्थी ने उक्त भूमि का मुआवजा देने हेतु किसी के भी पक्ष में कोई सहमति मौखिक या लिखित में पेश की है। प्रार्थी से अप्रार्थी सं० 1 के सम्बन्धित कर्मचारी ने यह कहकर कि तुम्हारी भूमि में से भूमि एकचायर हुई है तुम्हें मुआवजा दिलाया जायेगा यह कहकर और कुछ खाली स्टाम्प मंगवा लिये व उन खाली स्टाम्पों पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा लिये जिनका दुरुपयोग करके और धोखे से सहमति देना तैयार कराकर अप्रार्थी सं० 1 ने अप्रार्थी सं० 3 के नाम मुआवजा देने का आदेश दिनांक 12.7.2010 को दे दिया और उक्त आदेश की पालना में अवाई क्रमांक 2972 दिनांक 4.8.2010 के जरिये 6296940/- अप्रार्थी सं० 3 को देने का आदेश दे दिया। जो कतई गलत एवं कानून के खिलाफ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त अवाई राशि 6296940/- अप्रार्थी सं० 3 के बजाय प्रार्थी को दिलाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष निराधार होने व श्रीमान के क्षेत्राधिकार के बाहर के कारण काबिले खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवाई राशि का भुगतान स्वयं प्राप्त करना चाहता है जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का दस्तावेजात व आपत्तियों के निस्तारण के बाद हितबद्ध व्यक्तियों के नाम अवाई आदेश पारित किया है। श्रीमान को मात्र अवाई राशि के निर्धारण के बारे में ही सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है न कि मुआवजा किसे प्रदान किया जावे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 481 वाके ग्राम हडिया में से अवाप्त की गई भूमि 1920 वर्गमीटर भूमि का 3ए एवं 3डी की अधिसूचना जिसमें कि अवाप्त की गई भूमि किस्म बाराणी दर्ज है का एवं राजस्व रिकार्ड



h

का अवलोकन किये बिना ही राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान को दरकिनार करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवाप्त भूमि का मनमर्जी से निराधार ही आवासीय व वाणिज्यिक आधार पर अवाई निर्धारण किया गया है जिसे निरस्त किया जाकर भूमि की किस्म से पुनः निर्धारण किया जाना आवश्यक है। 3डी अधिसूचना में उक्त वादग्रस्त आराजी के हितबद्ध/भूस्वामी/खातेदार प्रार्थी भीखाराम व अन्य दीगर पक्षकारान है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी एक मात्र उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा प्रस्तुत प्रकरण में अवाप्त भूमि 300 वर्गमीटर का मुआवजा भूमि की किस्म बरानी दर के आधार पर निर्धारित किया जावे। पत्रावली में संलग्न भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महवा की बिन्दुवार जांच टिप्पणी दिनांक 09.05.2011 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 63.000 किमी से 120.00 किमी. भरतपुर-महवा खण्ड की चारलेनीकरण बी.ओ.टी. परियोजना तहसील महवा क्षेत्र का संशोधित खसरा प्लान एवं अतिरिक्त 3ए प्रस्ताव दिनांक 01.11.2008 को भिजवाया। जिसमें पूर्व के 3डी में अवाप्तशुदा भूमि से कुछ भूमि कम करने और कुछ नंबर जो अवाप्त से सहबन से छूट जाने के कारण अवाप्ति बाबत गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ उसे कराने के लिये भिजवाये थे। भेजे गये प्रस्ताव पर कार्यालय तहसीलदार महवा से 3ए प्रस्तावित अधिसूचना की जांच हेतु मिन भू-अवाप्ति अधिकारी से पूर्व के पीठासीन अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी ने पत्रांक राजस्व/09/2065 दिनांक 14.07.2009 के जरिये भिजवाया। जिस पर तहसीलदार महवा ने पटवारी हल्का से रिपोर्ट पेशानी में लेकर संलग्न भिजवाई। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 481 में चाही प्रथम 0.26 जाव प्रथम 0.48 में कुल 1320 वर्गमीटर खातेदार लाला पुत्र गिराज हिस्सा 1/2, भीखा पुत्र रामचन्द्र बलाई तथा खसरा नम्बर 481/1447 गैर मुमकिन आबादी 600 वर्गमीटर (आबादी सिवायचक) दर्ज बताया था और उसी के आधार पर गजट नोटिफिकेशन के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रकाशनार्थ दिया जिसमें पटवारी हल्का की पेशानी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 481 का रकबा और खातेदारी की स्थिति, भूमि की किस्म का अंकन नहीं होकर सहवन से त्रुटि हो गई। परन्तु पुनःश्च जब 3डी के लिये प्रकाशनार्थ भिजवाया उसमें भूमि की किस्म सही दर्ज की गई। इसी गैरमुमकीन सिवायचक आबादी में से ग्राम पंचायत द्वारा हितधारी व्यक्ति को पट्टा जारी किया गया है। जिसके आधार पर अवाई जारी किया गया है। भीखाराम द्वारा इस भूमि का कोई मुआवजा हेतु ओमप्रकाश के आवेदन पर कोई आपत्ती दर्ज नहीं कराई। इसलिए ओमप्रकाश के नाम पर अवाई पारित किया गया। हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा जो अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की और जिनके साथ अपनी सहमति प्रस्तुत की उसके अनुसार जो समस्या खड़ी हुई वह माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (सोशल इन्फ्रा) राजस्थान सरकार के साथ दिनांक 05.02.2009 को हुई मिटिंग के मिनिट्स के 2.3.1 के अनुसार तथ्य सामने रखे गये और उनके अनुसार जो निर्देश दिये गये थे उन्हीं की पालना में हितबद्ध व्यक्ति के अवाई पारित किये गये है। प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष सहमति पत्र और अपने बयान प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात नियमानुसार ही अवाई पारित किया गया है।



उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चरण संख्या 1 में खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 है 0 राजस्व रिकार्ड में खातेदार भीखाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा व लाला पुत्र गिराज जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा दर्ज होना व्यक्त किया गया है तथा चरण संख्या 2 में बाहमी बंटवारा हो जाना तथा प्रार्थी 481 के सम्पूर्ण रकबे का मालिक व काबिज प्रार्थी होना व्यक्त किया गया है। जबकि इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा भी कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी अवाप्त भूमि का मुआवजा भूमि की किस्म बारानी दर से पुनः निर्धारण करने का निवेदन किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। आर्बिट्रेशन के तहत स्वामित्व का निर्धारण किया जाना उचित नहीं है। राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अवाप्तशुदा भूमि के स्वामित्व का निर्धारण प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय से करवाया जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

